राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर

W-6, गौरव पथ, जोधपुर (राज.) फोन. 0291-2432290 / 2434272 फैक्स न.- 2632329
Visit us: http://livelihoods.rajasthan.gov.in, e-mail ID: rajitiadmission20@gmail.com

क्रमांकः प.सं.7(11)/प्र–1/केन्द्रीप्रवेश/2020/1949/10602 दिनांक :- 05/08/2020

आर्चाय/अधीक्षक
राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।
(सत्र 2020 प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त)

विषयः सत्र 2020 हेतु प्रवेश अनुमति प्राप्त राजकीय/प्राईवेट आई.टी.आई. में केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के तहत प्रवेश पोर्टल पर संस्थान की व्यवसायवार सीट मेट्रिक्स की जांच कर शुल्क अपलोड करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2020 हेतु एनसीवीटी/एससीवीटी योजनान्तर्गत प्रवेश अनुमति प्राप्त राजकीय आई.टी.आई. एवं एनसीवीटी योजनान्तर्गत प्रवेश अनुमति प्राप्त प्राईवेट आई.टी.आई. में केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश किये जाएगें।

संस्थान प्रधान अपनी SSO ID से sso.rajasthan.gov.in में Login करने के पश्चात् ITI App पर क्लिक करें और ITI Admission 2020 आप्शन सलेक्ट करके User ID (G Code & P Code) और Password भरकर (संस्थान को रजिस्ट्रर्ड ई–मेल पर उपलब्ध करवायें जायेगे।) संस्थान में सत्र 2020 हेतु प्रवेश अनुमति प्राप्त व्यवसायों/यूनिटों की सीट मेट्रिक्स की जांच करेगें। संस्थान प्रधान द्वारा अपनी संस्थान की सीट मेट्रिक्स जांच लेने के पश्चात् व्यवसायवार <u>प्रशिक्षण शुल्क प्रति वर्ष</u> मय <u>कॉशन मनी, छात्र दुर्घटना बीमा प्रीमियम प्रति वर्ष राशि</u> को जोडकर पोर्टल पर फीस अनिवार्य रूप से अपलोड करेगें।

पोर्टल प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–
(☛SSO ID☛Password☛ Citizen App☛ITI App☛ITI Admission 2020☛Login ID☛Password☛Institute☛Fees).

किसी प्रकार की विसंगति होने पर पूर्ण विवरण ई–मेल rajitiadmission20@gmail.com पर अविलम्ब अवगत करावें।

केन्द्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के उक्त महत्वपूर्ण कार्य दिनांक 05.08.2020 से 10.08.2020 तक सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करावें। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधीत संस्थान प्रधान उत्तरदायी होगें। नवीनतम जानकारी हेतु निरन्तर विभागीय वैबसाईट http://livelihoods.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

<u>नोटः</u>– जिन प्राईवेट संस्थानों द्वारा वैब–पोर्टल पर फीस का विवरण अपलोड नहीं किया जाएगा उन संस्थानों/व्यवसायों को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

निदेशक प्रशिक्षण

क्रमांकः प.स.7(11)/प्र–1/केन्द्री.प्रवेश/2020/1949/10603-604 दिनांकः 05/08/2020

प्रतिलिपिः 1– संयुक्त निदेशक, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर– 302005 को भेजकर निवेदन है कि पोर्टल पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

2– उपनिदेशक प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर को भेजकर लेख है कि आप अपने क्षेत्राधीन राजकीय/प्राईवेट संस्थानों को उक्तानुसार कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करावें।

उपनिदेशक प्रशिक्षण